



शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

नो योर कस्टमर (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों  
पर नीति

| संस्करण नियंत्रण और अनुमोदन विवरण |                      |                        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| अंतिम पॉलिसी समीक्षा तिथि         | संशोधित नीति संस्करण | संशोधित नीति को मंजूरी | द्वारा अनुमोदित नीति |
| 31.07.2023                        | दिसंबर' 23           | 28.12.2023             | निदेशक मंडल          |
| 28.12.2023                        | नवंबर' 24            | 14.11.2024             | निदेशक मंडल          |
| 14.11.2024                        | अगस्त'25             | 5.08.2025              | निदेशक मंडल          |

|            |            |            |             |
|------------|------------|------------|-------------|
| 5.08.2025  | नवंबर'25   | 14.11.2025 | निदेशक मंडल |
| 14.11.2006 | फ़रवरी '26 | 13.02.2026 | निदेशक मंडल |
| 13.02.2026 | अगस्त'26   | 05.08.2026 | निदेशक मंडल |

| विषय-सूची |                                                                                                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| क्र. नहीं | व्यक्तियों                                                                                        | पेज नंबर |
| 1         | उद्देशिका                                                                                         |          |
| 2         | परिभाषाएं                                                                                         |          |
| 3         | अपनी ग्राहक नीति जानें                                                                            |          |
| 3 ए       | ग्राहक स्वीकृति नीति                                                                              |          |
| 3 बी      | जोखिम प्रबंधन                                                                                     |          |
| 3 सी      | ग्राहक पहचान प्रक्रिया                                                                            |          |
| 3 डी      | चल रहे उचित परिश्रम (लेनदेन की निगरानी)                                                           |          |
| 4         | बढ़ाया और सरलीकृत उचित परिश्रम (पीईपी के खाते)                                                    |          |
| 5         | रिकॉर्ड प्रबंधन                                                                                   |          |
| 6         | निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को जानकारी प्रदान करना                                                      |          |
| 7         | अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएं/दायित्व                                                  |          |
| 8         | गोपनीयता दायित्व और सूचना साझा करना                                                               |          |
| 9         | सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय के साथ शरीन केवाईसी जानकारी<br>केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर (सीकेवाईसीआर) |          |
| 10        | एफएटीसीए और सीआरएस के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता                                                     |          |
| 11        | कर्मचारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को काम पर रखना                                            |          |
| 12        | कंपनी और कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन करें                 |          |
|           | अनुलग्नक का                                                                                       |          |

## एक. उद्देशिका

यह 'अपने ग्राहक को जानें (KYC) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों पर नीति' ('पॉलिसी' या 'KYC और AML पॉलिसी') भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानें) निर्देश, 2025' ('RBI KYC निर्देश') के अनुसार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("SHDFC") द्वारा अपनाए गए KYC दिशानिर्देशों और AML उपायों का विवरण देती है।

इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी या कंपनी की नियामक आवश्यकताओं या व्यावसायिक संचालन में किसी भी भौतिक परिवर्तन के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

## परिभाषाएं

नीति में, उपयोग की जाने वाली शर्तों में उन्हें नीचे दिए गए अर्थ होंगे:

- १) "आधार संख्या" का अर्थ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (ए) के तहत परिभाषित एक पहचान संख्या है, अब से 'आधार अधिनियम' है।

*स्पष्टीकरण 1: आधार अधिनियम के संदर्भ में, प्रत्येक निवासी आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।*

*स्पष्टीकरण 2: आधार पहचान और पते के लिए दस्तावेज होगा।*

- २) "अधिनियम" या "पीएमएलए" का अर्थ है धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

- ३) आधार अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (सी) के तहत परिभाषित "प्रमाणीकरण" का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ आधार संख्या को उसके सत्यापन के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) को प्रस्तुत किया जाता है और इस तरह के भंडार के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुद्धता या उसकी कमी की पुष्टि की जाती है।

- ४) लाभकारी स्वामी (बीओ):

- जहां ग्राहक एक कंपनी है, लाभकारी मालिक प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

*खुलासा-*

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है कंपनी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व/हकदारी।

"नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं।

- जहां ग्राहक एक साझेदारी फर्म है, बीओ प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या मुनाफे के 10% से अधिक के स्वामित्व का स्वामित्व है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

**व्याख्या-**

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" में प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

- जहां ग्राहक एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय है, बीओ प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या मुनाफे के 15% से अधिक के स्वामित्व का स्वामित्व रखता है। 'व्यक्तियों का निकाय' शब्द में समाज शामिल हैं। जहां उपरोक्त (ए), (बी) या (सी) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, बीओ प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है।
- जहां ग्राहक एक ट्रस्ट है, बीओ की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10% या उससे अधिक रुचि रखने वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी भी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी।
- बीओ की पहचान से कुछ छूट हैं: बीओ पहचान से छूट पीएमएल नियम, 2005 में प्रदान की गई छूट के साथ गठबंधन की गई है, जैसे कि जहां ग्राहक या नियंत्रण हित का मालिक (i) भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इकाई है, या (ii) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में निवासी इकाई है और ऐसे न्यायालयों में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है, या (iii) ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है; ऐसी इकाई के किसी भी शेयरधारक या लाभकारी मालिक की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

- ५) "प्रमाणित प्रति" - SHDFC द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ होगा कब्जे के प्रमाण की प्रतिलिपि की तुलना करना, आधार संख्या, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, या आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज, ग्राहक द्वारा मूल के साथ प्रस्तुत किया गया है और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति पर इसे रिकॉर्ड करना होगा। बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों के मामले में ( विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 [फेमा 5(आर)] में परिभाषित पीआईओ), वैकल्पिक रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है:

- अ) भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
- आ) विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ भारतीय बैंकों के संबंध हैं,
- इ) विदेश में नोटरी पब्लिक,
- ई) कोर्ट मजिस्ट्रेट,
- उ) न्यायाधीश,
- ऊ) उस देश में भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।

६) "सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) का अर्थ है नियमों के नियम 2 (1) के तहत परिभाषित एक इकाई, जो ग्राहक के डिजिटल रूप में केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए है।

७) "नामित निदेशक" का अर्थ है पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए SHDFC द्वारा नामित व्यक्ति और इसमें PML अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए SHDFC द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होगा और इसमें शामिल होंगे: प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत।

**स्पष्टीकरण-** इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" शब्दों का अर्थ उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (समय-समय पर संशोधित, किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं) या पुनः अधिनियमन सहित, उस समय लागू होने के लिए सौंपा गया है) में उन्हें सौंपा गया होगा।

८) "डिजिटल केवाईसी" का अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार के कब्जे का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, साथ ही उस स्थान का अक्षांश और देशांतर जहां अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार एसएचडीएफसी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली जा रही है।

९) "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (पी) में सौंपा गया है (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं)।

१०) "समतुल्य ई-दस्तावेज" का अर्थ है ऐसे दस्तावेज के जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए गए दस्तावेजों सहित, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 (समय-समय पर

संशोधित) के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते में जारी किए गए दस्तावेज शामिल हैं। जिसमें तत्समय लागू किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन को शामिल किया गया है।

- ११) "केवाईसी पहचानकर्ता" का अर्थ है केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक को सौंपा गया अद्वितीय नंबर या कोड
- १२) "गैर-लाभकारी संगठन" (एनपीओ) का अर्थ है आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित कोई भी संस्था, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी भी समान राज्य कानून या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के तहत एक ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, 2013 (2013 का 18)।

- १३) "आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़" (OVD) का अर्थ है।

अ) पासपोर्ट

आ) ड्राइविंग लाइसेंस

इ) आधार नंबर रखने का प्रमाण

ई) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र

उ) एनआरईजीए द्वारा जारी जॉब कार्ड राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्यौरा होता है।

बशर्ते कि,

(१) जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो वह इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं।

(२) जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी के पास अद्यतन पता नहीं है, निम्नलिखित दस्तावेज, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माना जाएगा:

(अ) यूटिलिटी बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता का दो महीने से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल)

(आ) संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद

(इ) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) यदि उनमें पता है।

(ई) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा नियोक्ता से

जारी आवास के आवंटन का पत्र और सरकारी आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस करार।

(३) ग्राहक को ऊपर (ii) में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करना होगा।

(४) जहां किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण शामिल नहीं होता है, ऐसे मामले में विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो नाम के इस तरह के परिवर्तन का संकेत देता हो।

१४) "ऑफ़लाइन सत्यापन" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (पीए) में दिया गया है।

१५) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसमें शामिल हैं:

अ) एक व्यक्ति,

आ) एक हिंदू अविभाजित परिवार,

इ) एक कंपनी,

ई) एक फर्म,

उ) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं,

ऊ) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के भीतर नहीं आता है (ए - ई),

ऋ) और उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा (ए से एफ)।

१६) "पीएमएल नियम" या "नियम" का अर्थ है पीएमएलए के तहत निर्धारित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

१७) "प्रधान अधिकारी" का अर्थ है "प्रधान अधिकारी", एसएचडीएफसी द्वारा नामित प्रबंधन स्तर का एक अधिकारी जो नियमों के नियम 8 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

१८) "संदिग्ध लेनदेन" का अर्थ है एक "लेनदेन" जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, जिसमें एक प्रयास किया गया लेनदेन भी शामिल है, चाहे वह नकद में किया गया हो, जो अच्छे विश्वास में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए हो:

- अ) संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय शामिल हो सकती है, भले ही इसमें शामिल मूल्य कुछ भी हो; या
- आ) असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में बनाया गया प्रतीत होता है; या
- इ) ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आर्थिक तर्क या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; आदेश संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

*स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेन-देन में आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन लोगों द्वारा संबद्ध या संबंधित या उपयोग किए जाने वाले धन से जुड़े लेनदेन शामिल हैं जो आतंकवादी, आतंकवादी संगठनों या उन लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या वित्त पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं।*

- १९) "लेनदेन" का अर्थ है खरीद, बिक्री, ऋण, प्रतिज्ञा, उपहार, हस्तांतरण, वितरण, या उसकी व्यवस्था और इसमें शामिल हैं:

- अ) खाता खोलना।
- आ) किसी भी मुद्रा में धन जमा करना, निकासी, विनिमय या हस्तांतरण, चाहे वह नकद या चेक, भुगतान आदेश या अन्य उपकरणों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक साधनों द्वारा हो।
- इ) सुरक्षा जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग।
- ई) किसी भी प्रत्ययी संबंध में प्रवेश करना।
- उ) किसी भी संविदात्मक या अन्य कानूनी दायित्व के लिए पूरे या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या
- ऊ) एक कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था की स्थापना या निर्माण।

- २०) "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)": सीडीडी उद्देश्य के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित पहचान की जानकारी प्राप्त करने और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, वास्तविक समय, सहमति आधारित दृश्य-श्रव्य बातचीत करके एसएचडीएफसी के एक अधिकारी द्वारा ग्राहक की पहचान की विधि। इस नीति के प्रयोजन के लिए इस तरह की प्रक्रिया को आमने-सामने की प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा।

- २१) "सामान्य रिपोर्टिंग मानक" (सीआरएस) का अर्थ है कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वचालित रूप से जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए हस्ताक्षरित बहुपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग मानक।

- २२) "ग्राहक" का अर्थ है एक व्यक्ति जो एसएचडीएफसी के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से वह व्यक्ति जो लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है।
- २३) "वॉक-इन ग्राहक" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसका SHDFC के साथ खाता-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन SHDFC के साथ लेनदेन करता है।
- २४) "कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)" का अर्थ है पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके ग्राहक और लाभकारी मालिक की पहचान करना और सत्यापित करना।
- स्पष्टीकरण – सीडीडी, एक खाता-आधारित संबंध के शुरू होने के समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक की राशि के सामयिक लेनदेन को अंजाम देते समय, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, या किसी भी अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संचालन में शामिल होंगे:
- ग्राहक की पहचान, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और व्यावसायिक संबंध की इच्छित प्रकृति, जहां लागू हो।
- ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, और उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना।
- यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक एक लाभकारी मालिक की ओर से कार्य कर रहा है और लाभकारी मालिक की पहचान कर रहा है और पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके लाभकारी मालिक की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
- २५) "ग्राहक की पहचान" का अर्थ है सीडीडी की प्रक्रिया शुरू करना।
- २६) "एफएटीसीए" का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं या विदेशी संस्थाओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अमेरिकी करदाताओं का पर्याप्त स्वामित्व हित होता है।
- २७) "आईजीए" का अर्थ है अंतराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के एफएटीसीए को लागू करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच अंतर-सरकारी समझौता।
- २८) "केवाईसी टेम्पलेट" का अर्थ है व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए सीकेवाईसीआर को केवाईसी डेटा का मिलान और रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए तैयार किए गए टेम्पलेट।

- २९) "आमने-सामने न आने वाले ग्राहक" का अर्थ है वे ग्राहक जो SHDFC की शाखा/कार्यालयों में जाए बिना या SHDFC के अधिकारियों से मिले बिना खाते खोलते हैं।
- ३०) "ऑन-गोइंग ड्यू डिलिजेंस" का अर्थ है खातों में लेनदेन की नियमित निगरानी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल और धन/धन के स्रोत के बारे में एसएचडीएफसी के ज्ञान के अनुरूप हैं।
- ३१) "आवधिक अद्यतन" का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेजों, आंकड़ों या सूचना को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाए।
- ३२) "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के लिए सौंपा गया है या सौंपा गया है, जिसमें राज्यों के प्रमुख/सरकार, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।
- ३३) "शेल बैंक" शेल बैंक का अर्थ है एक बैंक जिसकी उस देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है जिसमें इसे निगमित और लाइसेंस प्राप्त है, और जो एक विनियमित वित्तीय समूह के साथ असंबद्ध है जो प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के अधीन है। भौतिक उपस्थिति का अर्थ होता है, किसी देश के भीतर स्थित सार्थक मन और प्रबंधन। केवल एक स्थानीय एजेंट या निम्न-स्तरीय कर्मचारियों का अस्तित्व भौतिक उपस्थिति का गठन नहीं करता है।
- ३४) "समूह" - "समूह" शब्द का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ई) में इसे सौंपा गया है।

अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1935, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण) के तहत सौंपा गया है। लाभ और सेवाएं अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियम, कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने वाले, जैसा भी मामला हो।

## **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन**

१. एसएचडीएफसी ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन, या वितरण चैनलों आदि के लिए अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया समग्र जोखिम के स्तर और लागू किए जाने वाले शमन के उचित स्तर और प्रकार का निर्धारण करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करेगी। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेगी, जिसे नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर कंपनी के साथ साझा कर सकता है।
२. जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा और प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुपात में किया जाएगा। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवश्यकता बोर्ड या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसे इस संबंध में शक्ति जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के अनुरूप सौंपी गई है। हालांकि, इसकी सालाना समीक्षा की जाएगी।
३. इस कवायद के परिणाम को जोखिम प्रबंधन समिति को सौंपा जाएगा जिसे इस संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और यह सक्षम प्राधिकारियों और स्व-विनियमन निकायों को उपलब्ध होगी।

SHDFC जोखिमों के शमन और प्रबंधन के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण (RBA) लागू करेगा (अपने स्वयं या राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से पहचाना गया) और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए। और पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए एक सीडीडी कार्यक्रम लागू करेगा। इसके अलावा, शुभम नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगा।

## **नामित निदेशक**

"नामित निदेशक" का अर्थ है पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए SHDFC द्वारा नामित व्यक्ति और बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा। SHDFC ने हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित "नामित निदेशक" के रूप में निदेशक और सीईओ को नामित किया है। पदनामित निदेशक धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। नामित निदेशक के पास इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाओं पर विचार करने, समीक्षा करने और अनुमोदन करने का अधिकार होगा।

## **प्रधान अधिकारी**

एसएचडीएफसी ने हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थित 'प्रधान अधिकारी' के रूप में प्रमुख-क्रेडिट और सेवा को नामित किया है। प्रधान अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने, लेन-देन की निगरानी करने और मुख्य अनुपालन अधिकारी को

'वैकल्पिक प्रधान अधिकारी' के रूप में जिम्मेदार होगा ताकि क्रमशः कानून/विनियमों के तहत आवश्यक नियामक प्राधिकरणों के साथ जानकारी साझा करना और रिपोर्ट करना सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधान अधिकारी ("पीओ") की जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी:

- (अ) पीओ आवश्यकता पड़ने पर पीएमएलए के नवीनतम लागू प्रावधानों, पीएमएल नियमों और आरबीआई केवाईसी निर्देशों के आधार पर नीति में संशोधन शुरू करेगा।
- (आ) पीओ, प्रासंगिक कार्यों की सहायता से, इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रासंगिक प्रक्रियाओं की सिफारिश करेगा और उन्हें लागू करेगा।
- (इ) एफआईयू-आईएनडी को लेनदेन की रिपोर्टिंग और लागू कानूनों/विनियमों के तहत आवश्यक जानकारी साझा करना सुनिश्चित करना।
- (ई) बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

### **वरिष्ठ प्रबंधन**

कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा:

- (अ) केवाईसी और एएमएल नीति और संबंधित प्रक्रियाओं का उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन।
- (आ) केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में निर्णय लेने के कार्यों को आउटसोर्स नहीं किया जाता है।

इस प्रयोजन के लिए, 'वरिष्ठ प्रबंधन' का अर्थ कंपनी के उन कर्मियों से होगा जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, जिसमें ऐसे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो प्रबंध निदेशक ("एमडी")/कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ("सीईओ") से एक स्तर नीचे के हैं, जिसमें विभागीय प्रमुखों को शामिल किया गया है।

### **केवाईसी और एएमएल नीति**

एसएचडीएफसी की केवाईसी और एएमएल नीति में चार प्रमुख तत्व शामिल होंगे:

- अ. ग्राहक स्वीकृति नीति
- आ. जोखिम प्रबंधन
- इ. ग्राहक पहचान प्रक्रियाएं
- ई. लेन-देन की निगरानी

## **केवाईसी और एएमएल नीति का अनुपालन**

केवाईसी और एएमएल नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित कदम उठाएगी:

- (अ) कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन केवाईसी और एएमएल नीति के समग्र अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (आ) आंतरिक लेखा परीक्षा के दायरे में केवाईसी/एएमएल नीतियों और प्रक्रिया के अनुपालन को सत्यापित करना भी शामिल होगा।
- (इ) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं सहित SHDFC नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन।
- (ई) केवाईसी/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली।
- (उ) केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में त्रैमासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट / नोट्स इस मामले में उनकी जानकारी और निर्णयों के लिए लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

एसएचडीएफसी ने यह सुनिश्चित किया कि केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने के निर्णय लेने के कार्यों को आउटसोर्स नहीं किया जाए।

कंपनी के सभी कर्मचारियों और एजेंटों/प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते समय, इस केवाईसी और एएमएल नीति और नीति के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा रखी गई अन्य प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

## **ग्राहक स्वीकृति नीति (CAP)**

ग्राहक स्वीकृति नीति में शामिल पहलू की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, SHDFC यह सुनिश्चित करेगा।

- (अ) कोई खाता गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से नहीं खोला जाता है।
- (आ) ऐसा कोई खाता नहीं खोला जाता है जहां SHDFC ग्राहक के असहयोग के कारण या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/सूचना की गैर-विश्वसनीयता के कारण उचित CDD उपाय लागू करने में असमर्थ हो। यदि आवश्यक हो, तो यह एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगा, जब वह ग्राहक के संबंध में प्रासंगिक सीडीडी उपायों का पालन करने में असमर्थ हो।
- (इ) सीडीडी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई लेनदेन या खाता-आधारित संबंध नहीं किया जाता है।

- (ई) खाता खोलते समय और आवधिक अद्यतन के दौरान केवाईसी उद्देश्य के लिए मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी निर्दिष्ट की जाती है।
- (उ) खाता खोलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से 'वैकल्पिक'/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है।
- (ऊ) एसएचडीएफसी यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया लागू करेगा। इस प्रकार, यदि किसी एसएचडीएफसी का कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक एसएचडीएफसी के साथ एक और खाता खोलना चाहता है, तो जहां तक ग्राहक की पहचान का संबंध है, उसे नए सीडीडी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी
- (ऋ) संयुक्त खाता खोलते समय सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- (लृ) जिन परिस्थितियों में ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- (एँ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है कि ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल न खाए, जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित प्रतिबंध सूचियों में दिखाई देता है।
- (ऐ) जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- (ए) जहां ग्राहक से समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाता है, SHDFC सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा।
- (ऐ) अतिरिक्त जानकारी, जहां ऐसी सूचना की आवश्यकता आंतरिक नीति में निर्दिष्ट नहीं की गई है, ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।
- (ऑ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है कि ग्राहक की पहचान किसी भी व्यक्ति या संस्था से मेल न खाए, जिसका नाम प्रतिबंध सूची में दिखाई देता है।
- (ओ) जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- (ओ) जहां ग्राहक से समकक्ष ई-दस्तावेज़ प्राप्त किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करें।

(औ) जहां जीएसटी नंबर उपलब्ध है, उसे जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई खोज/सत्यापन सुविधा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

(अं) जहां मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह है, और यह यथोचित रूप से मानता है कि सीडीडी प्रक्रिया करने से ग्राहक को टिप-ऑफ कर दिया जाएगा, यह सीडीडी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा, और इसके बजाय एक एसटीआर दाखिल करेगा।

(अः) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी ग्राहक स्वीकृति नीति के परिणामस्वरूप आम जनता के सदस्यों, विशेष रूप से उन लोगों को वित्तीय सुविधा से वंचित नहीं किया जाता है जो विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित हैं। कंपनी बिना किसी विचार के केवाईसी के ऑनबोर्डिंग या आवधिक अद्यतन के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगी। संबंधित अधिकारी अस्वीकृति के कारणों को विधिवत रिकॉर्ड करेगा।

## जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के लिए, SHDFC के पास जोखिम-आधारित दृष्टिकोण होगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

i.) SHDFC ग्राहकों को कंपनी के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ii. जोखिम वर्गीकरण ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, और ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान आदि के बारे में जानकारी जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, ऑनलाइन या जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी शामिल किया जा सकता है।

बशर्ते कि कथित जोखिम से संबंधित ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से एकत्र की गई विभिन्न अन्य जानकारी गैर-दखल देने वाली है और इसे केवाईसी और एएमएल नीति में निर्दिष्ट किया गया है।

व्याख्या: एफएटीएफ सार्वजनिक विवरण, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोट, आरबीआई द्वारा सभी सहकारी बैंकों को परिचालित मार्गदर्शन नोट आदि का उपयोग जोखिम मूल्यांकन में भी किया जा सकता है।

ग्राहकों की पहचान और हामीदारी के लिए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, उन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

एक. **कम जोखिम वाले ग्राहक।** कम जोखिम वाले ग्राहक वे व्यक्ति और संस्थाएं होंगी जिनकी पहचान और आय के स्रोत की पहचान आसानी से की जा सकती है। तदनुसार, कम जोखिम वाले ग्राहक हैं

एक.एक. वेतनभोगी ग्राहक जिनके वेतन ढांचे को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, और वेतन का भुगतान बैंक क्रेडिट / चेक के माध्यम से किया जाता है।

एक.दो. स्व-नियोजित ग्राहक जिनकी प्रलेखित आय है जहां ऋण राशि ₹1 करोड़ तक है।

एक.तीन. नकद आय वाले वेतनभोगी ग्राहक; और स्व-नियोजित ग्राहक जिनकी अनौपचारिक आय को ऋण राशि के अधीन माना गया है, वे 50 लाख रुपये तक हैं।

1.4 अन्य सभी उधारकर्ता जो मध्यम जोखिम या उच्च जोखिम श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध नहीं हैं।

## 2. मध्यम जोखिम श्रेणी :

2.1 नकद आय वाले वेतनभोगी ग्राहक; और स्व-नियोजित ग्राहक जिनकी अनौपचारिक आय को ऋण राशि के अधीन माना गया है, 50 लाख से अधिक है।

2.2 प्रलेखित आय वाले स्व-नियोजित ग्राहक जहां ऋण राशि ₹1 करोड़ से अधिक है।

2.3 निम्नलिखित प्रोफाइल वाले ग्राहक

1. गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, दान और दान प्राप्त करने वाले संगठन। 2. एचयूएफ। 3. करीबी पारिवारिक शेरधारिता या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां। 4. ₹ 1 करोड़ से अधिक के ऋण के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति।

तीन. **उच्च जोखिम श्रेणी-** उच्च जोखिम वाले ग्राहकों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) 2. PEP.3 के परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार। ग्राहकों का सामना करने के लिए आमने-सामने नहीं। 4. सोते हुए भागीदारों के साथ फर्म।

5. अनिवासी भारतीय

## जोखिम वर्गीकरण की निगरानी

प्रारंभिक जोखिम वर्गीकरण की तुलना में किसी भी ऋण के व्यवहार में परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए सभी ऋणों की छह-मासिक समीक्षा की जाएगी। यह पिछले बारह महीनों के दौरान वितरित सभी ऋणों के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर के महीने में किया जाएगा। वरिष्ठ प्रबंधन समीक्षा और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संयुक्त प्रबंध निदेशक से अनुमोदन के आधार पर संशोधित जोखिम वर्गीकरण के साथ खातों को अपडेट किया जाएगा। जोखिम वर्गीकरण के मानदंडों में ग्राहकों के साथ-साथ लेन-देन, पेश किए गए उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए उपयोग किए जाने वाले सुपुर्दगी चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार आदि शामिल हो सकते हैं। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण और जोखिम वर्गीकरण के कारणों को गोपनीय माना जाएगा और ग्राहक को टिप देने से बचने के लिए ग्राहक को प्रकट नहीं किया जाएगा।

## **ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)**

(i) एसएचडीएफसी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगा -

- ग्राहक के साथ खाता आधारित संबंध की शुरुआत।
- जब ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता के बारे में संदेह होता है तो उसने प्राप्त किया है।
- एजेंट के रूप में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना, अपने स्वयं के प्रोडक्ट बेचना, और किसी भी अन्य प्रोडक्ट को पचास हजार रुपये से अधिक में बेचना।
- जब SHDFC के पास यह मानने का एक कारण है कि एक ग्राहक (खाता-आधारित या वॉक-इन) जानबूझकर लेनदेन को पचास हजार रुपये की सीमा से नीचे लेनदेन की एक श्रृंखला में संरचित कर रहा है।
- एसएचडीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि खाते खोलते समय परिचय की मांग न की जाए।

(ii) खाता आधारित संबंध शुरू करते समय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए, एसएचडीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सीडीडी पर अपने विकल्प पर निर्भर करेगा:

- तीसरे पक्ष द्वारा किए गए रिकॉर्ड या ग्राहक की उचित परिश्रम की जानकारी तुरंत तीसरे पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से प्राप्त की जाती है।
- कंपनी द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं कि ग्राहक की उचित परिश्रम आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियां बिना किसी देरी के अनुरोध पर तीसरे पक्ष से उपलब्ध कराई जाएंगी।
- तीसरे पक्ष को विनियमित, पर्यवेक्षण या निगरानी की जाती है, और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक के उचित परिश्रम और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उपाय किए जाते हैं।
- तीसरा पक्ष किसी ऐसे देश या क्षेत्राधिकार में आधारित नहीं होगा जिसे उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किया गया हो।

सीडीडी के लिए अंतिम जिम्मेदारी, जिसमें किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया और लागू होने पर अधिक उचित परिश्रम उपाय करना शामिल है, एसएचडीएफसी की होगी।

## **कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD) प्रक्रिया**

ग्राहकों की पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

## भाग 1: व्यक्तियों के मामले में ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया

सीडीडी करते समय, एसएचडीएफसी किसी 'व्यक्ति' के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा जो किसी भी कानूनी इकाई से संबंधित लाभकारी मालिक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक है:

### ए। आधार संख्या जहां

१) ग्राहक आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक है; या

२) ग्राहक ने पीएमएल अधिनियम की धारा 11 ए की उप-धारा (1) के पहले प्रावधान के तहत अधिसूचित एसएचडीएफसी को स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा करने का फैसला किया; या

(क) आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण क्या है जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

(ख) आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या कोई ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो; तथा

आ.) स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म नंबर 60 जैसा कि आयकर नियम, 1962 में परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

इ.) ऐसे अन्य दस्तावेज जिनमें व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति के संबंध में शामिल हैं, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।

बशर्ते कि जहां ग्राहक ने सबमिट किया हो,

i.) पीएमएल अधिनियम की धारा 11A की उप-धारा (1) के पहले प्रावधान के तहत अधिसूचित SHDFC को उपरोक्त खंड (a) के तहत आधार संख्या, कंपनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके ग्राहक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा, ऐसे मामले में, यदि ग्राहक केंद्रीय पहचान डेटा रिपोर्टिंग में उपलब्ध पहचान की जानकारी के अनुसार पते से अलग एक वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह एसएचडीएफसी को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।

२) उपरोक्त खंड (एए) के तहत आधार के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, एसएचडीएफसी ऑफलाइन सत्यापन करेगा।

3) किसी भी ओवीडी के समकक्ष ई-दस्तावेज, आरई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों और उसके तहत जारी होने वाले किसी भी नियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा और अनुलग्नक। के तहत निर्दिष्ट एक लाइव फोटो लेगा।

4) उपरोक्त खंड (एबी) के तहत कोई भी ओवीडी या आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, कंपनी अनुलग्नक। के तहत निर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करेगी।

बशर्ते कि ऐसी अवधि के लिए जो कंपनी के एक वर्ग के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, डिजिटल केवाईसी करने के बजाय, ऐसी श्रेणी से संबंधित कंपनी आधार संख्या या ओवीडी के कब्जे के प्रमाण की प्रमाणित प्रति और एक हालिया तस्वीर जहां समकक्ष ई-दस्तावेज जमा नहीं किया गया है, प्राप्त कर सकती है।

बशर्ते कि यदि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धावस्था या अन्यथा के कारण चोट, बीमारी या दुर्बलता और इसी तरह के कारणों से, एसएचडीएफसी, आधार संख्या प्राप्त करने के अलावा, अधिमानतः ऑफलाइन सत्यापन करके या वैकल्पिक रूप से ग्राहक से किसी अन्य ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके पहचान करेगा।

इस तरह से किया गया सीडीडी अनिवार्य रूप से एसएचडीएफसी के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस तरह की अपवाद हैंडलिंग भी धारा 8 में अनिवार्य समवर्ती लेखा परीक्षा का एक हिस्सा होगी। SHDFC एक केंद्रीकृत अपवाद डेटाबेस में अपवाद प्रबंधन के मामलों को विधिवत रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करेगा। डेटाबेस में अपवाद देने के आधारों, ग्राहक विवरण, अपवाद को अधिकृत करने वाले नामित अधिकारी का नाम और अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होगा। डेटाबेस को एसएचडीएफसी द्वारा समय-समय पर आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण के अधीन किया जाएगा और पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा।

स्पष्टीकरण 1: SHDFC, जहां उसका ग्राहक आधार संख्या वाले आधार नंबर के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा ग्राहक उचित साधनों के माध्यम से अपने आधार नंबर को संशोधित या ब्लैक आउट करता है, जहां आधार संख्या के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट ग्राहक सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता, सीडीडी के उद्देश्य से प्राप्त किया जा सकता है

**डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया:** जब भी कंपनी डिजिटल केवाईसी करती है, तो कंपनी इस संबंध में निर्धारित आरबीआई केवाईसी निर्देशों के पैराग्राफ 24 के प्रावधानों का पालन करेगी।

**आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके आमने-सामने मोड में खोले गए खाते:** वर्तमान में एसएचडीएफसी किसी भी गैर-आमने-सामने के ग्राहकों को शामिल नहीं कर रहा है।

**वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी):** यदि वी-सीआईपी करने का विकल्प चुनता है, तो कंपनी वी-सीआईपी के संबंध में निर्धारित आरबीआई केवाईसी निर्देशों के पैराग्राफ 27 के प्रावधानों का पालन करेगी।

**SHDFC द्वारा खाते खोलने की सरलीकृत प्रक्रिया:** यदि कोई व्यक्ति जो खाता खोलने की इच्छा रखता है, दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो SHDFC अपने विवेक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन खाते खोल सकते हैं:

- (अ) SHDFC ग्राहक से एक स्व-सत्यापित तस्वीर प्राप्त करेगा।
- (आ) SHDFC का नामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करता है कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया है।
- (इ) खाता शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए चालू रहेगा, जिसके भीतर नीति के अनुसार उचित सीडीडी किया जाएगा।
- (ई) उनके सभी खातों में शेष राशि किसी भी समय ₹50,000 से अधिक नहीं होगी।
- (उ) सभी खातों में कुल जमा एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (ऊ) एसएचडीएफसी ग्राहक को इस बात से अवगत कराएगा कि ग्राहक द्वारा उप-पैरा (डी) और (ई) के अनुसार आवश्यकताओं का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक आगे किसी भी लेनदेन (किश्त) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ऋ) खाते की निगरानी की जाएगी और जब एमएल/टीएफ गतिविधियों या अन्य उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों का संदेह हो,

## भाग 2: एकल मालिकाना फर्मों के लिए सीडीडी उपाय

एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलने के लिए, व्यक्ति (मालिक) का सीडीडी किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज या समकक्ष ई-दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे:

- अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र। मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) शामिल है।
- आ. दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/लाइसेंस। बिक्री और आयकर रिटर्न।

- ई. सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)।
- उ. बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज।
- ऊ. आई.ई.सी. (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना कंपनी को जारी किया गया है/लाइसेंस / किसी संविधि के तहत निगमित किसी भी व्यावसायिक निकाय द्वारा मालिकाना कंपनी के नाम पर जारी किया गया प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र।
- ऋ. एकमात्र मालिक के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकार किया जाता है। h. उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

ऐसे मामलों में जहां एसएचडीएफसी संतुष्ट है कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, एसएचडीएफसी अपने विवेक से उन दस्तावेजों में से केवल एक को व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकता है।

बशर्त SHDFC संपर्क बिंदु सत्यापन करे और ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण एकत्र करे जो ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होंगे, और पुष्टि करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि व्यावसायिक गतिविधि को मालिकाना कंपनी के पते से सत्यापित किया गया है।

### भाग 3: कानूनी संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

1.) किसी कंपनी का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी:

- अ. निगमन का प्रमाण पत्र
- आ. मेमोरैंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
- इ. कंपनी का पैन
- ई. निदेशक मंडल और पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए प्रदान किया गया एक प्रस्ताव
- उ. एक ओवीडी की एक प्रति जिसमें पहचान और पते का विवरण होता है, एक हालिया तस्वीर और प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के फॉर्म 60 के पैन, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए एक वकील को पकड़ते हैं।
- ऊ. वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम
- ऋ. पंजीकृत कार्यालय और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है।

2.) साझेदारी फर्म का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी:

- अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आ. साझेदारी विलेख

इ. साझेदारी फर्म का पैन

ई. एक ओवीडी की एक प्रति जिसमें पहचान और पते का विवरण होता है, एक हालिया तस्वीर और प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के फॉर्म 60 के स्थायी खाता नंबर, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए एक वकील को पकड़ना। E. सभी भागीदारों के नाम

च. पंजीकृत कार्यालय का पता, और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है

3.) ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी:

अ. पंजीकरण प्रमाण पत्र

आ. ट्रस्ट डीड

इ. ट्रस्ट का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म नंबर 60

ई. एक ओवीडी की एक प्रति जिसमें पहचान और पते का विवरण होता है, एक हालिया तस्वीर और प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के फॉर्म 60 के पैन, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए एक वकील को पकड़ते हैं।

उ. ट्रस्ट के लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षकों और लेखकों के नाम।

ऊ. पंजीकृत कार्यालय का पता, और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है

ऋ. ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता

ल. ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत लोगों के लिए धारा 16 में निर्दिष्ट ट्रस्टियों और दस्तावेजों की सूची।

एँ. बशर्ते कि ट्रस्ट के मामले में, SHDFC यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय या लेनदेन करते समय अपनी स्थिति का खुलासा करें

4.) एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी:

अ. ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प

आ. अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का पैन या फॉर्म नंबर 60

इ. अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए मुख्तारनामा प्रदान किया गया

ई. एक ओवीडी की एक प्रति जिसमें पहचान और पते का विवरण होता है, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की एक हालिया तस्वीर और फॉर्म 60 के पैन, जैसा भी मामला हो, एक वकील को अपनी ओर से पहचान संबंधी जानकारी का लेन-देन करने के लिए पकड़े हुए है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है

उ. ऐसी जानकारी जो एसएचडीएफसी द्वारा सामूहिक रूप से ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

स्पष्टीकरण - अपंजीकृत ट्रस्ट/साझेदारी फर्मों को 'अनिगमित संघ' शब्द के तहत शामिल किया जाएगा और 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में सोसायटी शामिल है।

5.) न्यायिक व्यक्तियों के खाते खोलने के लिए जो विशेष रूप से पहले के भाग में शामिल नहीं हैं, जैसे कि सरकार, उसके विभाग, समितियां, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकाय, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी:

अ. निकाय की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज

आ. अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्ति के संबंध में पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार/पैन/ओवीडी और

इ. ऐसे दस्तावेज जो एचएफसी द्वारा ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

#### भाग-4: लाभकारी मालिक की पहचान के लिए सीडीडी उपाय

एक कानूनी व्यक्ति जो एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, का खाता खोलने के लिए, लाभकारी मालिक (मालिकों) की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए नियमों के नियम (9) के उप-नियम 3 के संदर्भ में सभी उचित कदम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे:

अ. जहां ग्राहक या नियंत्रण हित का मालिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, ऐसी कंपनियों के किसी भी शेयरधारक या लाभकारी मालिक की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

आ. ट्रस्ट/नॉमिनी या फिड्यूशरी खातों के मामलों में यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ट्रस्टी/नॉमिनी या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं। ऐसे मामलों में, बिचौलियों और उन व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य जिनके लिए वे कार्य कर रहे हैं, साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

#### 3 डी। उचित परिश्रम पर

लेन-देन की निगरानी

ऑन-गोइंग मॉनिटरिंग प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व है। चूंकि, कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और हमारे सभी ऋण इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस/एनएसीएच) में डेट या पोस्ट-डेटेड चेक के माध्यम से भुगतान की गई एक निश्चित/परिवर्तनीय किस्त के साथ कार्यकाल आधारित हैं, इसलिए हमारी निगरानी संरचना हमारे

संचालन की प्रकृति के लिए प्रासंगिक होगी। जबकि असामान्य रूप से बड़े नकद लेनदेन दुर्लभ होंगे, यह देखते हुए कि कंपनी वर्तमान में अधिकतम ऋण 50,00,000/- रुपये प्रदान करती है, फिर भी कंपनी अपने ऋण के आकार से संबंधित सभी असामान्य रूप से बड़े नकद लेनदेन पर विशेष ध्यान देगी। विशेष रूप से ऋण बंद करने के लिए नकद लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग की जाएगी और प्रबंधन टीम द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ताकि विसंगतियों की पहचान की पहचान की जा सके और यदि आवश्यक हो तो धन के स्रोत या उधारकर्ता की पहचान को फिर से सत्यापित किया जा सके। इसके अलावा कंपनी निम्नलिखित गतिविधियों को भी अंजाम देगी:

अ. इस नीति में उल्लिखित जोखिम वर्गीकरण को प्रबंधन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन किया जा सकता है।

आ. अतिदेय/चूक वाले खातों के मामले में जहां इस ग्राहक के प्रोफाइल को फिर से मिलने या पुन जांचने की गुंजाइश है, यदि आवश्यक पाया जाता है तो उचित जांच-पड़ताल की जाएगी।

इ. हमारी मंजूरी के बाद, आंशिक संवितरण की अवधि के दौरान पूर्ण संवितरण तक, यदि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई असामान्य लेनदेन/विकास हमारी जानकारी में आता है, तो उसे सत्यापित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अधिसूचित किया जाएगा।

ई. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार खातों में लेन-देन का रिकॉर्ड संरक्षित और अनुरक्षित किया जाए। पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुलग्नक II में परिभाषित संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन और/या पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 12 और उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत अधिसूचित किसी अन्य प्रकार के लेन-देन, निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त कानून प्रवर्तन प्राधिकरण (निदेशक एफआईयू-आईएनडी) को सूचित किया जाता है, जब भी हमारे अधिकारियों द्वारा प्रधान अधिकारी के माध्यम से पता लगाया जाता है। हालांकि, कंपनी को किसी विशेष अवधि के दौरान जहां कोई नकद/संदिग्ध लेनदेन नहीं है, वहां "शून्य" रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ई) प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई और एएमएल) सहित उपयुक्त नवाचारों पर चल रहे उचित परिश्रम के लिए विचार किया जा सकता है।

### **अद्यतन/आवधिक अद्यतन**

एसएचडीएफसी केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि सीडीडी के तहत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अद्यतित और प्रासंगिक रखा जाए, विशेष रूप से जहां उच्च जोखिम है

आवधिक केवाईसी अपडेशन उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दस साल में एक बार निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

SHDFC निम्नलिखित कार्य करेगा:

अ.) जारी करने वाले प्राधिकारी के पास उपलब्ध सत्यापन सुविधा से पैन सत्यापन और

आ.) लागू मामलों में ग्राहक की स्पष्ट सहमति से एसएचडीएफसी के पास पहले से उपलब्ध आधार संख्या का प्रमाणीकरण।

इ.) यदि आधार के साथ उपलब्ध पहचान संबंधी जानकारी में वर्तमान पता नहीं है, तो वर्तमान पते वाला ओवीडी प्राप्त किया जा सकता है।

ई.) केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से ग्राहक की ईमेल-आईडी, ग्राहक के मोबाइल नंबर पंजीकृत पत्र आदि के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी

उ.) पते में परिवर्तन: केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक से ग्राहक की ईमेल-आईडी पंजीकृत, ग्राहक के मोबाइल नंबर के माध्यम से नए पते की स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे कि पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, आदि। इसके अलावा, ओवीडी या डीमड ओवीडी, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की एक प्रति, पते के प्रमाण का उद्देश्य, ग्राहक द्वारा अद्यतन/आवधिक अद्यतन के समय घोषित किया जाना चाहिए।

घ) अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले नॉन-फेस टू फेस मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी।

वर्तमान पते की घोषणा, यदि वर्तमान पता आधार में दिए गए पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, सुनिश्चित करें कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही है जो ग्राहक की प्रोफाइल के साथ उपलब्ध है, ताकि किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

e.) पहचान और पते वाली ओवीडी की प्रमाणित प्रति उन व्यक्तियों से आवधिक अद्यतन के समय प्राप्त की जाएगी जिन्हें 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में जब उनकी पहचान और पते के संबंध में स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उस आशय का एक स्व-प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा।

कानूनी संस्थाओं के मामले में, एसएचडीएफसी खाता खोलते समय मांगे गए दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और नई प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करेगा।

अ.) एसएचडीएफसी ओवीडी प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ग्राहक की भौतिक उपस्थिति पर जोर नहीं देगा, जब तक कि खाताधारक/धारकों की भौतिक उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण न हों। आम तौर पर, ग्राहक द्वारा मेल/डाक आदि के माध्यम से अग्रेषित ओवीडी/सहमति स्वीकार्य होगी।

आ.) एसएचडीएफसी केवाईसी अपडेशन/आवधिक अपडेशन करने की तारीख के साथ पावती प्रदान करना सुनिश्चित करेगा इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवाईसी के अपडेशन/आवधिक अपडेशन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेज रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किए जाएं और ग्राहक को केवाईसी विवरण अपडेट करने की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना प्रदान की जाए

इ.) ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, एसएचडीएफसी किसी भी शाखा में केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है।

केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी), इस संबंध में अधिकृत अधिकारी का पत्र, बोर्ड का प्रस्ताव, आदि। इसके अलावा, एसएचडीएफसी इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) जानकारी सटीक है और यदि आवश्यक हो, तो इसे यथासंभव अद्यतित रखने के लिए इसे अद्यतन करेगा।

केवाईसी जानकारी में परिवर्तन: पते में परिवर्तन: केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक से ग्राहक की ईमेल-आईडी पंजीकृत, ग्राहक के मोबाइल नंबर पंजीकृत के माध्यम से नए पते की स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे कि पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, आदि। इसके अलावा, ओवीडी या डीमड ओवीडी, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की एक प्रति, पते के प्रमाण का उद्देश्य, ग्राहक द्वारा अद्यतन/आवधिक अद्यतन के समय घोषित किया जाना चाहिए। केवाईसी जानकारी में बदलाव के मामले में, एसएचडीएफसी नए एलई ग्राहक को शामिल करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के बराबर करेगा।

बशर्ते कि यदि कोई ग्राहक एसएचडीएफसी के साथ मौजूदा खाता-आधारित संबंध रखता है और एसएचडीएफसी को लिखित रूप में देता है कि वह अपना स्थायी खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं करना चाहता है, तो एसएचडीएफसी खाता बंद कर देगा और खाते के संबंध में देय सभी दायित्वों को ग्राहक पर लागू पहचान दस्तावेज प्राप्त करके ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद उचित रूप से निपटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक खाते के संबंध में "संचालन का अस्थायी बंद" का अर्थ एसएचडीएफसी द्वारा उस खाते के संबंध में सभी लेनदेन या गतिविधियों का अस्थायी निलंबन होगा जब तक कि ग्राहक इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

ई.) पीएमएल नियमों की आवश्यकताओं के संदर्भ में ग्राहकों के दायित्व पर निर्देश, कंपनी ग्राहकों को सलाह देगी कि पीएमएल नियमों का पालन करने के लिए, व्यावसायिक संबंध/खाता आधारित संबंध की स्थापना के समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अद्यतन के मामले में और उसके बाद, आवश्यकतानुसार, ग्राहक ऐसे दस्तावेजों का अद्यतन प्रस्तुत करेंगे। यह रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से दस्तावेजों को अपडेट करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद, एक व्यक्तिगत ग्राहक के संबंध में, जिसे कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है, SHDFC सभी लेनदेन की अनुमति देगा और केवाईसी के लिए देय होने के एक वर्ष के भीतर या 30 जून, 2026 तक, जो भी बाद में हो, केवाईसी का अद्यतन सुनिश्चित करेगा। एसएचडीएफसी ऐसे ग्राहकों के खातों की नियमित निगरानी करेगा। यह कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहकों पर भी लागू होगा, जिनके लिए केवाईसी का आवधिक अपडेशन पहले ही देय हो चुका है।

#### **केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए देय नोटिस**

SHDFC अपने ग्राहकों को अपने केवाईसी दस्तावेजों/सूचनाओं को अपडेट करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करेगा। केवाईसी के आवधिक अद्यतन की नियत तारीख से पहले, एसएचडीएफसी केवाईसी दस्तावेजों/सूचनाओं के आवधिक अद्यतन की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से अपने ग्राहकों को उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देगा, जिसमें पत्र द्वारा कम से कम एक सूचना शामिल है।

नियत तारीख के बाद, एसएचडीएफसी ऐसे ग्राहकों को कम से कम तीन अनुस्मारक देगा, जिसमें उचित अंतराल पर पत्र द्वारा कम से कम एक अनुस्मारक शामिल है, जिन्होंने नोटिस/सूचना के बावजूद अभी तक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। सूचना/अनुस्मारक पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी को अपडेट करने के लिए आसानी से समझने के निर्देश, यदि आवश्यक हो तो सहायता मांगने के लिए वृद्धि तंत्र और समय पर अपने केवाईसी को अपडेट करने में विफलता के परिणाम, यदि कोई हों, शामिल होंगे।

इसके अलावा, इस तरह की अग्रिम सूचना/अनुस्मारक जारी करना कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल के लिए विधिवत दर्ज किया जाएगा।

#### **4. उन्नत और सरलीकृत उचित परिश्रम**

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) के खाते

SHDFC पीईपी (चाहे ग्राहक या लाभकारी स्वामी के रूप में) के साथ संबंध स्थापित करने का एक विकल्प सुनिश्चित करेगा, बशर्ते कि सामान्य ग्राहक उचित परिश्रम करने के अलावा:

- अ) धन के स्रोतों, परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के खातों के बारे में जानकारी सहित पर्याप्त जानकारी पीईपी पर एकत्र की जाती है।
- आ) पीईपी को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जानी चाहिए।
- इ) पीईपी के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार एक वरिष्ठ प्रबंधन पर लिया जाता है
- ई) ऐसे सभी खाते सतत् आधार पर बढ़ी हुई निगरानी के अधीन हैं।
- उ) किसी मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाते के लाभकारी स्वामी के बाद में पीईपी बनने की स्थिति में, व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की मंजूरी प्राप्त की जाती है।
- ऊ) पीईपी पर लागू सीडीडी उपाय जिनमें सतत् आधार पर निगरानी बढ़ाना शामिल है, लागू हैं।
- ऋ) यह निर्धारित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है कि ग्राहक या लाभकारी मालिक पीईपी है या नहीं।
- ल) निधियों/धन के स्रोत को स्थापित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

ये निर्देश परिवार के सदस्यों या पीईपी के करीबी सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

खाते में संचालन की अनुमति देने से पहले सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से वर्तमान पते को सत्यापित करने के लिए उन्नत उचित परिश्रम (गैर-आमने-सामने ग्राहक ऑनबोर्डिंग), पैन ग्राहक से प्राप्त किया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा, ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और गैर-आमने-सामने मोड में खोले गए खातों को तब तक बढ़ी हुई निगरानी के अधीन किया जाएगा जब तक कि ग्राहक की पहचान आमने-सामने या वी-सीआईपी के माध्यम से सत्यापित नहीं हो जाती। आदि।

## **रिकॉर्ड प्रबंधन**

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक खाते की जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। SHDFC करेगा,

- लेन-देन की तारीख से कम से कम पांच वर्षों के लिए एसडीएफसी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के ग्राहक के बीच लेनदेन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखें।
- खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड और व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच वर्षों तक किए गए किसी भी विश्लेषण के पहचान डेटा, खाता फ़ाइलों, व्यावसायिक पत्राचार और परिणामों के अद्यतन रिकॉर्ड को संरक्षित करें।
- अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा उपलब्ध कराएं।

- नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली शुरू करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम, 2005)।
- पीएमएल नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें ताकि निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जा सके:
  - लेन-देन की प्रकृति
  - लेन-देन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे मूल्यवर्ग किया गया था।
  - जिस तारीख को लेन-देन किया गया था और लेन-देन के लिए पक्षकार।
- खाता जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करना जो सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर या जब भी आवश्यक हो, डेटा को आसानी से और जल्दी से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- अपने ग्राहक की पहचान और पते का रिकॉर्ड बनाए रखें, और नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप में रिकॉर्ड बनाए रखें।
- गैर-लाभकारी संगठन वाले ग्राहकों के मामले में, ऐसे ग्राहकों का विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। यदि ऐसे ग्राहक पंजीकृत नहीं हैं, तो SHDFC DARPAN पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा। ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, पांच साल की अवधि के लिए इस तरह के पंजीकरण रिकॉर्ड बनाए रखें।

## **वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्टिंग आवश्यकताएं - भारत**

एसएचडीएफसी निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को उसके नियम 7 के अनुसार पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण: नियम 7 के उप नियम 3 और 4 में संशोधन के संबंध में 22 सितंबर, 2015 को अधिसूचित तीसरे संशोधन नियमों के संदर्भ में, निदेशक, एफआईयू-आईएनडी के पास नियम 3 के उप-नियम (1) के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट लेनदेन का पता लगाने के लिए एसएचडीएफसी को दिशानिर्देश जारी करने की शक्तियां होंगी, उन्हें सूचना प्रस्तुत करने के रूप के बारे में निर्देश देने और प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करने के तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए।

निर्धारित रिपोर्ट तैयार करने में रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए विकसित एफआईयू-आईएनडी और रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी और रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी द्वारा निर्धारित/जारी रिपोर्टिंग प्रारूप और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप गाइड पर ध्यान दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दाखिल करने के लिए संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटियाँ, जिसे एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर रखा है, का उपयोग एसएचडीएफसी द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपने लाइव लेनदेन डेटा से सीटीआर/एसटीआर निकालने के लिए उपयुक्त तकनीकी उपकरण स्थापित / अपनाए हैं।

कंपनी के प्रधान अधिकारी, जिनकी सभी शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, के पास उन शाखाओं से लेन-देन का विवरण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी जो अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं और सीटीआर/एसटीआर की संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोगिताओं की सहायता से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी, जैसा कि एफआईयू-आईएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है <http://fiuindia.gov.in>

निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना प्रस्तुत करते समय, लेन-देन की रिपोर्ट नहीं करने में प्रत्येक दिन की देरी या नियम में निर्दिष्ट समय सीमा से परे गलत तरीके से प्रस्तुत लेनदेन को सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी को एक अलग उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। एसएचडीएफसी उन खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जहां एसटीआर दाखिल किया गया है। एसएचडीएफसी एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को कोई जानकारी न हो।

निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में निर्दिष्ट अभिलेखों के रखरखाव और निदेशक को सूचना प्रस्तुत करने का तथ्य गोपनीय है। हालांकि, इस तरह की गोपनीयता की आवश्यकता लेनदेन और गतिविधियों के किसी भी विश्लेषण के तहत जानकारी साझा करने में बाधा नहीं डालेगी, जो असामान्य लगती है, यदि ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है।

एसएचडीएफसी स्वचालित लेखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। अलर्ट की निगरानी एक परिभाषित संसाधन द्वारा मैनुअल रूप से की जाएगी।

कानूनी/नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते समय, एफएटीएफ मानकों और एफएटीएफ मार्गदर्शन नोटों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने पर, जोखिमों के बेहतर प्रबंधन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

### अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएं/दायित्व - अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संचार

(अ) एसएचडीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51क और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, उनके पास उन व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में दिखाई देते हैं, जिनके संबंध होने का संदेह है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर परिचालित किया जाता है। इसे दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए सूचियों में किसी भी संशोधन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा। अध्याय IX में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) से संबंधित मौजूदा उपबंधों को धारा 51 में समेकित किया गया है। दोनों सूचियों का विवरण इस प्रकार है:

(१) सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267/1989/2253 के अनुसार "आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची" की स्थापना और रखरखाव किया गया है, जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और

संस्थाओं के नाम शामिल हैं, जो [https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) पर उपलब्ध है।

- (२) सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988 (2011) के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित 'तालिबान प्रतिबंध सूची', जिसमें तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, <https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1988/materials> पर उपलब्ध है। एसएचडीएफसी समय-समय पर यथा संशोधित आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का उल्लेख करना भी सुनिश्चित करेगा। समय-समय पर यथा संशोधित आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध उपर्युक्त सूचियों अर्थात् संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूचियों और सूचियों को दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और सूचियों को जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूचियों में किसी भी संशोधन को सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- (आ) 2 फरवरी, 2021 की यूएपीए अधिसूचना (आरबीआई केवाईसी निर्देशों के अनुलग्नक II) के तहत आवश्यक गृह मंत्रालय (एमएचए) को सलाह देने के अलावा सूचियों में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण एफआईयूआईएनडी को सूचित किया जाएगा।
- (इ) UAPA, 1967 की धारा 51A के तहत संपत्ति को फ्रीज करना: 2 फरवरी, 2021 के UAPA आदेश (RBI KYC निर्देशों का अनुलग्नक II) में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- (ई) कंपनी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) की धारा 12 ए के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया' का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (उ) एसएचडीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि यदि व्यक्ति/इकाई का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है तो लेनदेन नहीं किया जाए।
- (ऊ) इसके अलावा, कंपनी ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय और समय-समय पर दिए गए मापदंडों की जांच करेगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि नामित सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास कोई धनराशि, वित्तीय संपत्ति, ऋण खाता आदि है या नहीं।
- (ऋ) उपरोक्त मामलों में मिलान के मामले में, डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को शामिल धन, वित्तीय

परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के पूर्ण विवरण के साथ लेनदेन के विवरण को तुरंत सूचित करें। पत्र की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी, जहां खाता/लेनदेन किया जाता है, और आरबीआई को भेजी जाएगी। एफआईयू-आईएनडी के साथ एक एसटीआर दाखिल करने के लिए खातों में सभी लेनदेनों को कवर करना, ऊपर कवर किया गया, के माध्यम से किया गया या प्रयास किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश के पैराग्राफ 1 के अनुसार, निदेशक, एफआईयू-इंडिया को सीएनओ के रूप में नामित किया गया है।

- (ल) एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित नामित सूची देखें।
- (ए) यदि संदेह से परे विश्वास करने के कारण हैं, तो ग्राहक द्वारा धारित धन या परिसंपत्तियां डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आती हैं, और ऐसे व्यक्ति/संस्था को वित्तीय लेनदेन करने से रोकती हैं, सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सूचित करते हुए, बिना देर किए।
- (ऐ) यदि सीएनओ से धारा 12ए के तहत संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश बिना किसी देरी के प्राप्त होता है, तो आरबीआई केवाईसी निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
- (ए) निधियों को फ्रीज करने आदि की प्रक्रिया आरबीआई केवाईसी निर्देशों के अनुलग्नक II में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार की जाएगी। तदनुसार, अनफ्रीजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था से प्राप्त आवेदन की प्रति आवेदक द्वारा दी गई संपत्ति के पूर्ण विवरण के साथ दो कार्य दिवसों के भीतर सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा अग्रेषित की जाएगी।
- (ऐ) एसएचडीएफसी हर दिन 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची', जैसा कि <https://www.mea.gov.in/Implementationof-UNSC-Sanctions-DPRK.htm> पर उपलब्ध है, को जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखने के लिए सत्यापित करेगा और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया आदेश, 2017 पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा।
- (ऑ) उपरोक्त के अलावा, कंपनी इस बात को ध्यान में रखेगी: (i) यूएपीए, 1967 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में अन्य यूएनएससीआर और (ii) सूचियाँ और यूएपीए की धारा 51A और WMD अधिनियम की धारा 12A के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए उसमें कोई संशोधन।
- (ओ) एसएचडीएफसी किसी भी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर जवाबी उपाय करेगा।
- (ओ) प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाम स्क्रीनिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचार और उपकरण।

## **क्षेत्राधिकार जो एफएटीएफ अनुशंसाओं को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं**

- अ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित एफएटीएफ के विवरण और उन देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विचार किया जाएगा, जो एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं। एसएचडीएफसी उन देशों के प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के लिए बढ़े हुए उचित परिश्रम उपायों को लागू करेगा, जो जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की गई है।
- आ) उन देशों के व्यक्तियों (कानूनी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो एफएटीएफ की सिफारिशों और एफएटीएफ बयानों में शामिल क्षेत्राधिकारों को अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं।
- स्पष्टीकरण: उपरोक्त धारा ए और बी में निर्दिष्ट प्रक्रिया एसएचडीएफसी को एफएटीएफ बयान में उल्लिखित देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और व्यावसायिक लेनदेन करने से नहीं रोकती है।*
- इ) एफएटीएफ विवरणों में शामिल क्षेत्राधिकार से व्यक्तियों (कानूनी व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ लेनदेन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य और देश जो एफएटीएफ की सिफारिशों को अपर्याप्त रूप से लागू नहीं करते हैं, की जांच की जाएगी, और सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्षों को बनाए रखा जाएगा और रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुरोध पर।
- ई) प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाम स्क्रीनिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचार और उपकरण।

## **गोपनीयता दायित्व और सूचना साझा करना**

- (अ) SHDFC ग्राहक की जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा जो ऋणदाता और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होती है।
- (आ) खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से, या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका विवरण प्रकट नहीं किया जाएगा।
- (इ) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/सूचना के अनुरोधों पर विचार करते समय, एसएचडीएफसी स्वयं को संतुष्ट करेगा कि मांगी जा रही सूचना ऐसी प्रकृति की नहीं है जो लेन-देन में गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी।

- (ई) उक्त नियम के अपवाद निम्नानुसार होंगे:
- (१) जहां प्रकटीकरण कानून की मजबूरी में है
  - (२) जहां जनता का खुलासा करना कर्तव्य है,
  - (३) बैंक के हित के प्रकटीकरण की आवश्यकता है और
  - (४) जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया जाता है।

### **CDD प्रक्रिया और केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) के साथ KYC जानकारी साझा करना**

- (अ) पीएमएल नियमों के नियम 9 (1 ए) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड (व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं) को कैप्चर करेगी और ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेगी।
- (आ) एसएचडीएफसी सीईआरएसएआई द्वारा जारी केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- (इ) एसएचडीएफसी समय-समय पर सीईआरएसएआई/सीकेवाईसीआर द्वारा निर्धारित 'व्यक्तियों' और 'कानूनी संस्थाओं' (एलई) के लिए केवाईसी टेम्पलेट्स के अनुसार, नियमों में उल्लिखित तरीके से सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी प्राप्त करेगा।
- (ई) जैसा कि आरबीआई केवाईसी निर्देशों में निर्धारित किया गया है, कंपनी 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा को सीकेवाईसीआर के साथ अपलोड करेगी।
- (उ) एक बार जब सीकेवाईसीआर द्वारा केवाईसी पहचानकर्ता तैयार हो जाता है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इसे व्यक्ति/एलई को सूचित किया जाए।
- (ऊ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आवधिक अद्यतन के दौरान, ग्राहकों को वर्तमान सीडीडी मानक में स्थानांतरित कर दिया जाए।
- (ऋ) जब भी एसएचडीएफसी किसी भी ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है, तो एसएचडीएफसी सात दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर सीकेवाईसीआर को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो सीकेवाईसीआर में मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। इसके बाद सीकेवाईसीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं को सूचित करेगा, जिन्होंने उक्त ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के संबंध में संबंधित ग्राहक के साथ व्यवहार किया है। एक बार जब सीकेवाईसीआर किसी मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड में अपडेट के बारे में एसएचडीएफसी को सूचित करता है,

तो एसएचडीएफसी सीकेवाईसीआर से अपडेट किए गए केवाईसी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करेगा और उसके द्वारा बनाए गए केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा।

(लृ) जहां कोई ग्राहक, खाता-आधारित संबंध स्थापित करने, अद्यतन/आवधिक अद्यतन करने या ग्राहक की पहचान के सत्यापन के उद्देश्य से एसएचडीएफसी ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता की तलाश करेगा या यदि उपलब्ध हो, तो सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त करेगा और ऐसे केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा और ग्राहक को वही केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक:

- (१) ग्राहक की जानकारी में परिवर्तन हुआ है जैसा कि सीकेवाईसीआर के रिकॉर्ड में मौजूद है
- (२) केवाईसी रिकॉर्ड या प्राप्त की गई जानकारी अधूरी है या वर्तमान लागू केवाईसी मानदंडों के अनुसार नहीं है।
- (३) SHDFC ग्राहक की पहचान या पते को सत्यापित करने, या उन्नत उचित परिश्रम करने या ग्राहक की उचित जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए आवश्यक मानता है।
- (४) सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी दस्तावेज, लेकिन जिनकी वैधता समाप्त हो गई है, का उपयोग केवाईसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

### **अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड**

कंपनी द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ नए संबंध दर्ज करते समय एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित किया जाएगा। कंपनी सभी वॉक-इन/सामयिक ग्राहकों को यूसीआईसी जारी नहीं करेगी, बशर्ते कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे वॉक-इन ग्राहकों की पहचान करने के लिए पर्याप्त तंत्र है जिनके साथ बार-बार लेनदेन होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें यूसीआईसी आवंटित किया गया है

### **विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता**

कंपनी आयकर नियम 114 एफ, 114 जी और 114 एच के प्रावधानों का पालन करेगी, जब भी एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में लागू हो।

### **कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण**

अ) एसएचडीएफसी अपने कर्मियों की भर्ती/भर्ती प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त जांच तंत्र सुनिश्चित करेगा।

- आ) चल रहे कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू किया जाएगा ताकि स्टाफ के सदस्यों को एएमएल/सीएफटी नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षण का फोकस फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों से निपटने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगा। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एसएचडीएफसी की एएमएल/सीएफटी नीतियों, विनियमन और संबंधित मुद्दों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से वाकिफ व्यक्तियों के साथ ऑडिट फ़ंक्शन का उचित स्टाफिंग सुनिश्चित किया जाएगा।
- इ) केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों से निपटने वाले कर्मचारियों के बीच खुले संचार, उच्च सत्यनिष्ठा, विषय वस्तु की उचित समझ के तत्वों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण।

### **कंपनी और ब्रोकरों/एजेंटों आदि सहित कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन।**

कंपनी और उनके दलालों/एजेंटों या इसी तरह के व्यक्तियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति, कंपनी पर लागू केवाईसी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे

### **पैन का उद्धरण**

एक ही दिन में ग्राहक से ₹50,000/- और उससे अधिक के नकद संग्रह के लिए, आयकर नियम 114B का पालन करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

- अ) यदि ग्राहक का पैन सिस्टम में अपडेट नहीं किया जाता है, तो ₹50,000/- या उससे अधिक की नकद प्राप्ति के लिए पैन कार्ड की एक प्रति के साथ ग्राहक का पैन एकत्र करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, पैन को कंपनी के सिस्टम में अपडेट किया जाएगा।
- आ) यदि ग्राहक के पास पैन नहीं है, तो ₹50,000/- और उससे अधिक की नकद प्राप्ति के लिए एक वैध पहचान प्रमाण के साथ ग्राहक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 60 एकत्र किया जाएगा।

## अनुलग्नक-1

### दस्तावेजों की सूची – पहचान और पता

#### अनिवार्य दस्तावेज

| एस नहीं | दस्तावेज              |
|---------|-----------------------|
| 1       | पैन कार्ड या फॉर्म 60 |

आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) का विवरण जिसे व्यक्तियों का कानूनी नाम और वर्तमान पता स्थापित करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है\* [निम्नलिखित में से कोई भी स्वीकार किया जा सकता है]

| एस नहीं | दस्तावेज                                                                        | पहचान | पता |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1       | वैध पासपोर्ट                                                                    | हाँ   | हाँ |
| 2       | मतदाता पहचान पत्र                                                               | हाँ   | हाँ |
| 3       | वैध ड्राइविंग लाइसेंस                                                           | हाँ   | हाँ |
| 4       | एनआरईजीए द्वारा जारी जॉब कार्ड राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित | हाँ   | हाँ |
| 5       | राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण होता है।   | हाँ   | हाँ |
| 6       | आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण* (स्वेच्छा से प्राप्त किया जाना है)              | हाँ   | हाँ |

ऊपर उल्लिखित दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही जारी करने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो नाम के इस तरह के परिवर्तन का संकेत देता हो।

\*आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुपालन में आधार सहमति घोषणा के साथ स्वैच्छिक रूप से आधार जमा करने के अधीन।

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों का विवरण जिन्हें व्यक्तियों के कानूनी नाम और वर्तमान पते की स्थापना के लिए स्वीकार किया जा सकता है। \* [निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है]

| एस नहीं | दस्तावेज                                                                                                                                                                                            | पहचान | पता |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1       | यूटिलिटी बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता का 2 महीने से अधिक पुराना नहीं है (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल)                                                                | नहीं  | हाँ |
| 2       | संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद                                                                                                                                                                           | नहीं  | हाँ |
| 3       | बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता विवरण                                                                                                                                                                 | नहीं  | हाँ |
| 4       | सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पते हैं                                             | नहीं  | हाँ |
| 5       | राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र, सांविधिक/                                                                                                                   | नहीं  | हाँ |
|         | विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी और लाइसेंस समझौते |       |     |

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा (ओवीडी) जैसा कि उपर्युक्त तालिका में निर्धारित किया गया है, इसे प्रस्तुत करने की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर।